


## कार्यालय तहसीलदार, एटा

पत्रांक-प्रमाणपत्र/112- /2012-13

दिनांक- 06.10.2012

### प्रमाण पत्र

सचिव/प्रबन्धक डा० लोहिया शिक्षा समिति होली गेट, एटा के पत्र दिनांक 25.09.2012 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि अधोहरताक्षरी न्यायालय में योजित नं० मु० 29/2010 दिनांक 12.08.2010 में उपजिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्गत आदेश के आधार पर मौजा भीतलपुर परगना-एटा सकीट, तहसील एटा के गाटा संख्या 735/3.4200 है० में से 0.332 है० मालगुजारी 15.75रू० को ज०वि० एवं भू०व्य० अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत एवं नियम 135 के आधीन मालगुजारी से मुक्त करते हुए उक्त गाटा संख्या पर बने हुए भवन एवं अवशेष भू-भाग को समिति द्वारा संचालित संस्थान के शिक्षण कार्य एवं खेलकूद के उपयोग हेतु इस प्रतिबन्ध के साथ आबादी घोषित किया गया है कि उक्त भूमि का शिक्षण कार्य के अतिरिक्त अन्य कोई प्रयोजन नहीं किया जाएगा।

  
तहसीलदार  
एटा  
10.10.2012  
तहसीलदार  
एटा